

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय:- बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु ई-लाभार्थी योजना अंतर्गत केन्द्रीकृत, समेकित एवं अद्यतन डाटाबेस तैयार करने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में उसका उपयोग करने के संबंध में।

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता भत्ता, छात्राओं के लिए निःशुल्क साईकिल, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, पोशाक एवं पठन-पाठन सामग्री, छात्रवृत्ति देने से संबंधित विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

2. इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों की सही पहचान, उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी का समेकित एवं केन्द्रीकृत संकलन तथा प्रोसेसिंग, अद्यतीकरण एवं आंकड़ों को आवश्यकतानुसार साझा करना आवश्यक है।

3. विभिन्न विभागों में उनके द्वारा संचालित योजनाओं की आवश्यकता के अनुसार आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रोसेसिंग किया जाता है। परंतु इन आंकड़ों में एकरूपता नहीं होने के कारण आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया का दोहराकरण होता है तथा इससे उपलब्ध संसाधनों का अपव्यय होता है।

4. केन्द्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस (Central Beneficiary Database (CBDB)) में बैंक खातों की जानकारी, मोबाईल नं0, ई-मेल पता, आधार संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी रहेगी। उक्त लाभार्थी मास्टर डाटाबेस को विभिन्न वाह्य प्रणालियों से जोड़ा जाएगा जैसे- BPL List, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना एवं बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणाली आदि। इन आंकड़ों की मदद से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि सीधे भेज दी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जन-धन योजना के तहत खोले गए नये बैंक खातों का उपयोग भी हो पाएगा और जहाँ बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, उन्हें खोलने में भी मदद मिलेगी। सभी लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणना एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उपलब्ध है, को एकीकृत कर उन्हें लाभार्थियों के बैंक खाता से जोड़कर एक समेकित केन्द्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस तैयार किया जाएगा,

5. केन्द्रीकृत डाटाबेस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्य ससमय एवं आसानी से हो सकेगा। उक्त केन्द्रीकृत डाटाबेस के अलावा एक समेकित Transactional Records Database होगा, जिसमें सभी लाभार्थियों से संबंधित आंकड़े, जैसे- नामांकन (enrollment), अपमार्जन

(deletion), जोड़ना (addition), सुधार (modification), आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन, इसी Transactional Records Database से ही किया जायेगा, जिसका Time Stamping होगा।

6. e-Labharathi योजना के संचालन के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर facilitation centre का निर्माण, क्षेत्र में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर ढांचा विकसित करना, क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय डाटा को डिजिटल रूप प्रदान करना, नेटवर्क connectivity उपलब्ध होना इत्यादि आवश्यक है। उपरोक्त सभी कार्य जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने हेतु किये जायेंगे। जिला स्तर पर लागू Executive Assistant मॉडल के अनुसार वित्त विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बिहार के सहयोग से डाटा इंटी ऑपरेटर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाएगी।

7. परियोजना की समय सीमा :- कुल एक वर्ष

18 महीने की अवधि Software तैयार करने हेतु

18 महीने की अवधि Software implementation तथा Handholding हेतु

8. परियोजना पर कुल व्यय :- 2.08 करोड़ (दो करोड़ आठ लाख रुपये मात्र)

राशि की विमुक्ति चार चरणों में की जायगी। योजना के आदेश में 25 प्रतिशत राशि विमुक्त की जायेगी। तदोपरान्त, योजना के प्रगति के आधार पर 25 प्रतिशत राशि तीन-तीन महीने के अन्तराल में विमुक्त की जाएगी।

9. राज्य के विभिन्न विभागों की सांस्थिक क्षमता के सुदृढीकरण हेतु e-Labharathi परियोजना मददगार होगी। यह परियोजना वित्त विभाग, बिहार के सक्रिय पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, (NIC) बिहार की तकनीकी सहायता से लागू की जाएगी। परियोजना का Terms of Reference, Implementation, Monitoring, Supervision, Service Level Agreement, Hardware का क्रय तथा अन्य सभी आयामों की प्रगति का देख-रेख आदि कार्य वित्त विभाग के द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त कार्य हेतु प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसमें प्रधान सचिव /सचिव, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े एवं अतिपिछड़े, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद एवं आपूर्ति, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सदस्य रहेंगे। इस समिति का सदस्य-सचिव, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग रहेंगे।

10. उक्त परियोजना Stabilized होने के उपरांत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को हस्तांतरित किया जायेगा।

11. समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सम्यक विचारोपरांत ,बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु ई-लाभार्थी योजना अंतर्गत केन्द्रीकृत, समेकित एवं अद्यतन डाटाबेस तैयार करने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में उसका उपयोग किया जायेगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक..07/विविध-19/2013-..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवम आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक..07/विविध-19/2013-..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवम आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक..07/विविध-19/2013-..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— National Informatic Centre, 3rd Floor, Technology Bhawan, Patna को सूचनार्थ एवम आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

NIC BSU DIARY

No. 440 Date 09/4/2015

for a
9/4/2015
TD (SRS)